न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 686–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–3–15 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल, प्रकरण कमांक 3/अ–6/2014–15.

प्रेमनारायण राठौर आत्मज हजारीलाल राठौर
निवासी ग्राम तुमड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1–गोपालदास आत्मज हरिदास अग्रवाल
2–राजेंद्र कुमार आत्मज हरिदास अग्रवाल
3–मनोज कुमार आत्मज हरिदास अग्रवाल
4–टीकमचंद उर्फ डूंगरमल आत्मज हरिदास अग्रवाल
5–कु.राजू अग्रवाल एडवोकेट पुत्री हरिदास अग्रवाल
6–सुश्री गिरजारानी पुत्री हरिदास अग्रवाल
निवासीगण छावनी सीहोर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री यशबंत साहू, अभिभाषक, आवेदक
श्री रत्नेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/3/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल द्वारा पारित आदेश 5–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख तहसील हुजूर भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 सहपठित धारा 164 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि स्व0सेठ रामप्रसाद आत्मज किशनजी के नाम ग्राम तुमडा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 95 रकवा 7.14 एकड़, सर्वे नम्बर 96 रकबा 4.56 एकड, सर्वे नम्बर 97 रकवा 3.71 एकड़, सर्वे नम्बर 98 रकवा 14.68 एकड़, सर्वे नम्बर 303

रकबा 1028 एकड़ व सर्वे नम्बर 308 रकबा 0.96 एकड़ भूमि थी । उनके द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 13–8–1981 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया और सेठ रामप्रसाद का दिनांक 7–11–1984 को देहांत हो गया है, अतः उक्त भूमियों पर अनावेदकगण का नामान्तरण किया जाये । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है और वसीयत के आधार पर पूर्व में अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि निरस्त हो चुका है और उक्त आवेदन पत्र के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं किये जाने के कारण वह भी अंतिम हो चुका है, अतः यह आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 5–3–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है इसलिये उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करना उचित नहीं होगा । आपत्तिकर्ता/आवेदक द्वारा पूर्व में अथवा आगे प्रकरण में उठाये गये समस्त बिन्दुओं के विचारण के बाद ही प्रकरण में यथोचित निर्णय लिया जायेगा, आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हो चुका है और तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही नहीं करने के कारण वह अंतिम हो चुका है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर लगभग 40 वर्ष पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि उपरोक्त कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है एवं तथ्यों को छिपाकर कार्यवाही करने से प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में अनावेदक के पास पंजीयत वसीयतनामा है और आवेदक का प्रश्नाधीन भूमियों पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व नहीं है । इस आधार

पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक को कब्जे के आधार पर नामान्तरण कराने का कोई अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 109 के अन्तर्गत विधिपूर्वक स्वत्व अर्जन करने के बाद ही नामान्तरण करने का अधिकार है और आवेदक द्वारा विधिपूर्वक स्वत्व अर्जित नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में आवेदन पत्र अदम पैरवी में निरस्त हुआ है और प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण नहीं हुआ है, इसलिये इस प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से एवं अनावेदकगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त होने के कारण इस प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही निरस्त की जाये । इस संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करने संबंधी कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है और आवेदक द्वारा पूर्व में अथवा आगे प्रकरण में उठाये गये समस्त बिन्दुओं के विचारण के बाद ही प्रकरण में यथोचित निर्णय लिया जायेगा, आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक को अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है और वे प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित कर सकते हैं। दर्शित परिस्थितियों में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख, भोपाल द्वारा पारित आदेश 05–03–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.